



समग्र शिक्षा अभियान (सेकेण्डरी एज्युकेशन)

क्र./पाठ्यक्रम/राशिके/2025/ 3713

भोपाल, दिनांक - 14/10/2025

प्रति,

1. प्राचार्य डाइट,
समस्त जिले, मध्यप्रदेश

2. जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले, मध्यप्रदेश

विषय: EQIP-LEP परीक्षा से संबंधित चयनित विद्यालयों के लिए उन्मुखीकरण (Orientation) कार्यक्रम में विद्यालय प्राचार्य/नामित नोडल अधिकारी की अनिवार्य उपस्थिति के संबंध में।

एज्युकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (EQIP-LEP) के अंतर्गत दिनांक 29.10.2025 को आयोजित होने वाले बेस लाइन असेसमेंट की गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु उन्मुखीकरण (Orientation) एवं परीक्षा सामग्री का वितरण कार्यक्रम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) केन्द्रों में 27.10.2025 को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में चयनित विद्यालयों की सूची EQIP-LEP की आधिकारिक वेबसाइट www.eqip.org.in पर उपलब्ध है।

इस संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन सभी जिलों में अनिवार्य रूप से किया जाए:

1. DEO/ ADPC, EQIP-LEP मूल्यांकन (कक्षा 9,10,11 एवं 12) हेतु सभी चयनित विद्यालयों में से एक नोडल अधिकारी/प्राचार्य विद्यालय द्वारा नामित करवाएँ तथा उसकी सूचना (नाम, मोबाइल नंबर आदि सहित) एजेंसी तथा लोक शिक्षण संचालनालय को दिनांक 17 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराएँ।
2. प्रत्येक चयनित विद्यालय के प्राचार्य अथवा उनके द्वारा नामित नोडल अधिकारी संबंधित जिले के DIET में दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को प्रातः 10:00 बजे उन्मुखीकरण (Orientation) एवं परीक्षा सामग्री वितरण कार्यक्रम में उपस्थित हों।
3. उन्मुखीकरण के दौरान परीक्षा संबंधी समस्त गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जाएगी तथा परीक्षा सामग्री उसी दिन सभी विद्यालयों को वितरित की जाएगी।
4. मूल्यांकन उपरांत प्रयुक्त OMR शीट्स को पैकेट में सीलबंद स्थिति में विद्यालयों में सुरक्षित रखा जाए, जिसे दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को निर्धारित DIET पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक/नामित नोडल अधिकारी द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।
5. DEO/ ADPC, यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त सूचना प्रत्येक विद्यालय तक समय पर पहुँचाई जाए तथा सभी संबंधित प्रधानाध्यापक/नामित नोडल अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

अतः सभी DEO/ ADPC द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का पालन किया जाए एवं परीक्षा गतिविधियों के सफल संचालन में सहयोग प्रदान किया जाए।

(मनीषा सेंतिया)

अपर परियोजना संचालक
समग्र शिक्षा (सेकेण्डरी एज्युकेशन)
लोक शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्र./पाठ्यक्रम/राशिके/2025/ 3714

भोपाल, दिनांक - 14/10/2025

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. राज्य परियोजना संचालक, समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, समस्त जिले की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिले की ओर सूचनार्थ।
5. जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।

अपर परियोजना संचालक
समग्र शिक्षा (सेकेण्डरी एज्युकेशन)
लोक शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

